GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ORDER

ORDER No. 5/116-2008 HRG-I (1)

Dated, Chandigarh, the 26/16/2020

Whereas, Sh. Dharmvir Singh [006278] the then Headmaster, GHS Adampur Dhadi (Bhiwani) now posted as Principal, GSSS Jhonju Kalan [392] (Bhiwani) was charge sheet under Rule-7 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 1987 on 03.03.2016/09.03.2016 and the following allegations were leveled against him:-

"श्री धर्मबीर सिहं द्वारा श्रेंणी—IV के कर्मचारियों की नियमित भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री दलबीर सिंह को एक्स—ग्रेशिया स्कीम के तहत बिना शैक्षणिक योग्यता के दिनांक 30.03.2005 को नियुक्त किया गया। चपडासी पद की योग्यता आठवी पास हैं, जबिक वह तीसरी पास थी तथा ऐसा करके सरकारी नियमों की अवहेलना की।".

The delinquent submitted his reply dated 26.03.2016 to the charge sheet and denied the allegation leveled against him. He stated in his reply that said appointment was made in compliance of order no. 9/109-2003 P(7) dated 07.03.2005 and by orders of the then SDEO Charkhi Dadri. The reply of the delinquent was not found satisfactory. Therefore, Shri R R Banswal, IAS (retd) was appointed Inquiry Officer on 24.11.2017 to conduct regular departmental enquiry. The Inquiry Officer submitted the report on 21.03.2018 and proved the charge against the delinquent. Consequently, finding dated 21.03.2018 of Inquiry Officer was forwarded to delinquent 19.09.2018 with direction to make representation within 30 days as per Rule 7 (C) (1) of HCS (P&A) Rules, 2016. The delinquent made his representation dated 15.10.2018 expressing his disagreement with the findings of Inquiry Officer. Thereafter, the personal hearing was granted to the charged officer on 31.08.2020, which was held through Video Conference on account of COVID-19 circumstances. The charged officer was duly heard and a representation dated 31.08.2020 made by the charged officer also acknowledged.

Now on examination of the facts of the case, report of enquiry officer and submission made by the charged officer during personal hearing, it is found that that as there was clear cut direction in appointment order dated 07.03.2005/18.03.2005 of Smt Kanta Devi W/o Late Shri Dalbir Singh that educational certificiates may be verified before allowing to join the official but charged officer allowed Smt Kanta Devi to join at Government High School, Adampur Dhadi (Bhiwani) although she does not had the requisite qualification. Apart from this, he obtained permission to join from SDEO Charkhi Dadri having knowledge that he was not competent to grant such permission. It has also been noticed that even the letter by which SDEO Charkhi Dadri granted permission does not have any dispatch number of his office. Thus, the authenticity of this letter is itself doubtful.

Therefore, allegation against Sh. Dharamvir Singh the then headmaster, GHS Adampur Dhadi (Bhiwani) now posted as Principal, GSSS Jhonju Kalan [392] (Bhiwani) has been proved beyond doubt and he is found guilty of misconduct under Rule-7 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 1987. Accordingly the Governor of Haryana is

pleased to inflict the punishment of withholding one increment with cumulative effect provides under rule 4 clause (b) of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 2016 Upon Sh. Dharmavir Singh.

It is ordered accordingly.

(DR. MAHAVIR SINGH), IAS Additional Chief Secretary to Govt, Haryana, School Education Department Chandigarh

REGD

Shri Dharamvir Singh, Principal Government Senior Secondary School, Jhonju Kalan Bhiwani (Email:- <u>dhramvirsinghsangwan@Gmail.Com</u>)

Endst. No. 5/116-2008 HRG-I(1)

Dated, Panchkula the 02.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-


- The Principal, Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh
 Treasury Officer, Bhiwani
- 3. District Education Officer, Bhiwani
- 4. Superintendent Pension-I (Local)
- 5. HRG-I(3)
- 6. Secy/ACSSE
- 7. I.T. Cell.

DEPUTY SUPERINTENDENT HRG-I FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA



government of haryana / हरियाणा सरकार Directorate School Education विद्यालय शिक्षा निदेशालय

-mail: edusecondary@hry.nic.in



आदेश कमांक 13/103-2020 एच.आर.एम.ई -। (4)

दिनांक, पंचकुला -27/10/2020

इसके द्वारा श्री सतीश कुमार (092934) लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरापों के आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम–8 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।

इसके द्वारा श्री सतीश कुमार (092934) लिपिक से उनकें द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंनें क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना

है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।

- इसके द्वारा श्री सतीश कुमार (092934) लिपिक को आगे सूचित किया जाता हैं कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते है तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते है। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें क़ेवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के पास हैं और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हे यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री सतीश कुमार (092934) लिपिक ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी श्री सतीश कुमार (092934) लिपिक को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हे इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।

संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(सतिन्द्र सिवाच) संयुक्त निदेशक प्रशासन-। कार्या0 निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,

पंचकुला

सेवा में

श्री सतीश कुमार (092934) लिपिक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद ।

दिनांक, पंचकुला-29/10/200

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

1.जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद।

2.आई०टी० सैल।

कृतेः निदेशक सैक्षेडरी शिक्षा हरियाणा

पंचकला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार Directorate School Education विद्यालय शिक्षा निदेशालय

e-mail: edusecondary@hry.nic.in



आरोप सूची नियम—8 विरुद्ध— श्री सतीश कुमार (092934) लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद।

श्री सतीश कुमार (092934) लिपिक ने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद में लिपिक के पद पर जबरदस्ती कार्यग्रहण करके, निम्न प्रकार से अनियमितताएं की है:—

"यह कि सरकार के आदेशो अनुसार निदेशालय के आदेश दिनांक 11.6.2020 के तहत आपको कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद से खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगीना, नूहं में स्थानान्तरित किया गया था। आप द्वारा इन आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में CWP No. 11272 of 2020- Satish Kumar Vs State of Haryana and others से संबंधित रिट दायर की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2020 को सुनवाई करते हुए निम्न आदेश पारित किये थे:—

"In the meantime, respondents shall permit the petitioner to apply on the portal by opening up the same against his slot and he shall give his options as per the prescribed procedure. However, he will not be transferred on his request till the final decision of the present writ petition".

उपरोक्त आदेशों के अनुसार कर्मचारी को स्थानान्तरण ड्राईव में Participate करवाना अनिवार्य था। जिसके परिणामस्वरूप उसको स्थानान्तरण ड्राईव में Participate करवा दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 5.8.2020 के अनुसार केवल लिपिक को Participate करवाने के आदेश दिये थे तथा परिणामस्वरूप प्राप्त स्टेशन याचिका के निर्णय तक उसका स्थानान्तरण नहीं करने बारे भी आदेश दिये थे लेकिन कर्मचारी द्वारा दिनांक 17.8.2020 को सुबह आकर जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के कार्यालय में बिना आज्ञा के उपस्थिति रिजस्टर में अपना नाम लिखकर दिनांक 14.8.2020 तथा 17.8.2020 को अपनी उपस्थिति लगा ली, जबिक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.8. 2020 की पालना में निदेशालय द्वारा आपको दिनांक 15.9.2020 से पहले कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद में कार्यग्रहण करने के निर्देश जारी नहीं किये गये थे।

इस प्रकार आपने हरियाणा कर्मचारी (आचरण नियमावली), 2016 के नियम 5 (i) की उल्लंघना करके अपने आपको हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम–8 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(सितन्द्र सिवाच) संयुक्त निदेशक प्रशासन—। कार्याo निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला

ORDER NO. 13/15-2020 PGT-II(7)

DATED: 30.10.2020

Smt. Anita Mor, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Rajjipur (Panchkula) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 02.11.2020 to 01.02.2021 (3 months) on medical ground as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

J GANESAN, IAS DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. 13/15-2020 PGT-II(7) DATED, PANCHKULA THE 2-11-2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. District Education Officer, Panchkula w.r.t. his/her memo no. E-1/20/5810 dated 09.10.2020.
- 2. Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Rajjipur (Panchkula).
- 3. Official concerned.

4. I.T Cell.

DY. SUPERINTENDENT PGT-II
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253 कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला—134109 (मारत) दूरमाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 20/69-2020 PGT-II (7)

DATED, PANCHKULA 30.10.2020

Smt. Seema, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Naultha (Panipat) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 30.10.2020 to 11.02.2021 (105 Days) as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/ 28067 dated 01.02.2016.

J. GANESAN, IAS DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 30 7/4 - 20 2

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The District Education Officer, **Panipat** w.r.t. their letter No. E-3/20/5018 dated 18.09.2020.
- 2. Principal/Headmaster concerned.

3. Official concerned.

IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

Dy. Superintendent PGT-II for Director Secondary Education, Haryana, Panchkula







Order No. 21/7-2020 HRME-I (4)

Dated, Panchkula, the 20.10.2020

As per provision contained in Haryana Govt. Civil Services (General) Rules, 2016 sub-para 147, Sh. Sukhdev Singh Malik, Assistant O/o BEO Uchana Jind who gave the notice dated 2.7.2020 for voluntary retirement in view of the instructions dated 13.09.2016 from Govt. Service after putting 20 years qualifying service, is hereby allowed to retire voluntarily from Govt. Service w.e.f. 30.9.2020 with the condition that recovery of loan, DDO may take action as per Rule 146 of HCS (General) Rules 2016.

> SATINDER SIWATCH JOINT DIRECTOR ADMN-I O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the -23 6 20 20

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, A.G. (A&E) Haryana, Chandigarh.

2. District Education Officer Jind w.r.t. Memo No. E-3/2020/3448 dated 10.7.2020. The Service Book of the official is enclosed herewith Treasury Officer, Jind.

Regd.

3. Treasury Officer, Jind.

4 Sh. Sukhdev Singh Malik, Assistant O/o BEO Uchana (Jind).

5 Superintendent Pension-I Branch.

6 I.T. Cell.

For Director Secondary Education

Maryana Panchkula

Order No. 17/136-2019 HRME-I (6)

Dated Panchkula 29.10.2020

Sanction is accorded to the re-imbursement of Medical Charges amounting to Rs. 4,93,384/- (Rs. Four Lakh Ninty three thousand three hundred Eighty four only) to Sh. Shamsher Singh, Class-IV, GSSS Sacha Khera Jind as noted against his name in connection with the treatment of his own at Sarvodya Multispeciality Hospital, Hisar on the advice of authorized Medical Attendants:-

Sr. No.	Name of Claimant	Amount	Relation with Patient	Period of Treatment
1	Sh. Shamsher Singh, Class-IV, GSSS Sacha Khera Jind	Rs. 4,93,384/-	Self	18-8-2019 to 7-9-2019
	(Rs. Four Lakh Ninty three th	ousand three	 hundred Eigl	 nty four only)

- 1. The re-imbursement of Medical Charges has been sanctioned under the Punjab/ Haryana services (Medical Attendants) Rules, 1940.
- 2. It has been certified by the authorized Medical Attendant that the Medicines prescribed by them was absolutely essential for treatment and recovery of the patient and that no cheaper substitute was possible.
- 3. The Head of Account to which the expenditure is debitable may be intimated direct to the Accountant General (Accounts) Haryana, Chandigarh.

J.GANESAN DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

Endst No. Even

Dated Panchkula 30 10 2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

REGD.

- 1. District Education Officer, Jind with reference to his memo No. A-I/MR/2019/2010 dated 20.12.2019. The medical bills and vouchers are attached herewith. It may be ensured that said employee has not been granted any advance of the above medical re-imbursement.
- 2. The Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
- 3. Superintendent Budget Branch (Local).
- 4. Sh. Shamsher Singh, Class-IV, GSSS Sacha Khera Jind.

5. IT Cell.

SUPERINTENDENT HRME-I FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

हरियाणा सरकार विद्यालय शिक्षा विभाग जापन

क्मांक 16/209-2017 पी0जी0टी0-||| (1)

दिनांक 26-10-2020

- 1. इसके द्वारा श्री बिरेन्द्र सिंह (023032), तत्कालीन पी0जी0टी0 राजनीति शास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भम्भेवा (जीन्द) (1582) (अब सेवानिवृत) को सूचित किया जाता है कि राज्यपाल, हरियाणा, द्वारा आरोपों से सलंग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 12.2 (ख) के साथ पठित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के अधीन उनके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित हैं।
- 2. इसके द्वारा, **श्री बिरेन्द्र सिंह** को इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप से बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते है या नहीं। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण या प्रतिवाद, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
- 3. इसके द्वारा, श्री बिरेन्द्र सिंह को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं, तो उन्हें निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी भी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी, यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जो निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला के पास हैं और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत है। यदि, सरकार की राय में उन्हें किसी दस्तावेज को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नही है, तो उन्हें दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि, श्री बिरेन्द्र सिंह ऐसे किसी अन्य स्संगत अभिलेख को देखना चाहते है जो निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं है, तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी है। फिर भी, श्री बिरेन्द्र सिंह को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथनों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए विधिमान्य आधार नहीं होगा और यदि, लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तृत किया जाना चाहिए।
- 5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजी जाएं।

(डा० महावीर सिंह, आई०ए०एस०) अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग रिया चण्डीगढ।

रजिस्टर्ड

श्री बिरेन्द्र सिंह, तत्कालीन पी०जी०टी० राजनीति शास्त्र (अब सेवानिवृत), राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भम्भेवा (जीन्द)।

कार्यालय, निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांकः सम

दिनांक पंचकुला 2-11- 202

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, जीन्द।

2. प्राचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भम्भेवा (जीन्द)।

3 IT cell

अधीक्षक पी०जी०टी०—।।।

कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,

पंचकुला

श्री बिरेन्द्र सिंह, तत्कालीन पी०जी०टी० राजनीति शास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भम्भेवा (जीन्द) (1582) (अब सेवानिवृत) के विरुद्ध आरोपों की सूची।

श्री बिरेन्द्र सिंह ने दिनांक 06.03.2012 से 30.06.2018 तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भम्भेवा (जीन्द) में पीoजीoटीo राजनीति शास्त्र के पद पर कार्य करते हुए जो अनियमितताएँ की, उनके लिये उन्हें निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है :--

"यह कि श्री बिरेन्द्र सिंह के विरुद्ध राहुल पुत्र श्री रणबीर सिंह, गांव भम्भेवा (जीन्द) द्वारा सी०एम० विण्डो पर की गई शिकायत संख्या 2017/099413, दिनांक 23.08.2017, संख्या 100236, दिनांक 28.08.2017 तथा संख्या 120113, दिनांक 11.10.2017 और मामले में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 18.09.2017 के अनुसार श्री बिरेन्द्र सिंह द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएं की गई:—

- 1. यह कि श्री बिरेन्द्र सिंह द्वारा 13 लाख 10 हजार 63 रूपये बिना अनुमित के खर्च करना।
- 2. यह कि श्री बिरेन्द्र सिंह द्वारा स्कूल के निर्माण कार्य में प्रयुक्त इंटरलोकिंग ईटो को लगाने के लिये मजदूरी पर खर्च राशि 29,320/— रूपये की बजाये 35,000/— रूपये दशाई जाना।
- 3. यह कि श्री बिरेन्द्र सिंह द्वारा लोहे के गेट का वनज 112.800 किलो ग्राम अधिक दर्शाना तथा मजदूरी भी अधिक दर्शाना।
- 4. यह कि श्री बिरेन्द्र सिंह द्वारा जगवार कम्पनी का सामाना खरीदा गया दर्शाया जाना, जबकि स्कूल में जगवार कम्पनी का लगाया गया कोई सामान नहीं मिलना जो कि सीधा गबन करना प्रतीत होता है।
- 5. कैशबुक में कटिंग तथा फलूड लगाकर अनियमितता करना। "

उपरोक्त अनियमितताएं श्री बिरेन्द्र सिंह, तत्कालीन पी०जी०टी० राजनीति शास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भम्भेवा (जीन्द) (1582) (अब सेवानिवृत) के गम्भीर कदाचार को व्यक्त करती हैं, जिनके लिये आपको हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के नियम 12.2 (ख) के साथ पठित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के अधीन कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई का दायी बनाया है।

(डा० महावीर सिंह, आई०ए०एस०) अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग चण्डीगढ़। श्री बिरेन्द्र सिंह, तत्कालीन पी०जी०टी० राजनीति शास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भम्भेवा (जीन्द) (1582) (अब सेवानिवृत) के विरुद्ध अभिकथनों के विवरण।

श्री बिरेन्द्र सिंह ने दिनांक 06.03.2012 से 30.06.2018 तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भम्भेवा (जीन्द) में पी0जी0टी0 राजनीति शास्त्र के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित भूल—चूकं की :—

"यह कि श्री बिरेन्द्र सिंह के विरुद्ध राहुल पुत्र श्री रणबीर सिंह, गांव भम्भेवा (जीन्द) द्वारा सी०एम० विण्डो पर की गई शिकायत संख्या 2017/099413, दिनांक 23.08.2017, संख्या 100236, दिनांक 28.08.2017 तथा संख्या 120113, दिनांक 11.10.2017 और मामले में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 18.09.2017 के अनुसार श्री बिरेन्द्र सिंह द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएं की गई:—

- 1. यह कि गांव भंभेवा स्कूल के नाम से लगभग 24 एकड़ भूमि है, जिसको हर साल पट्टे पर दिया जाता है। उसका पैसा स्कूल के अंदर कृषि फण्ड में जमा होता है। उक्त राशि के उपयोग के लिये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या विभाग से अनुमित लेनी होती है, परंतु श्री बिरेन्द्र सिंह द्वारा इस फण्ड से 13 लाख 10 हजार 63 रूपये बिना अनुमित के खर्च किये।
- 2. यह कि श्री बिरेन्द्र सिंह द्वारा स्कूल के निर्माण कार्य में प्रयुक्त इंटरलोकिंग ईटो को लगाने के लिये मजदूरी पर 29,320/— रूपये की राशि खर्च की गई, जबकि उन द्वारा उक्त कार्य पर 35,000/— रूपये दर्शाए गए।
- 3. यह कि बिल संख्या 102 दिनांक 27.02.2016 के अनुसार स्कूल के मेन गेट में 412.800 कि0ग्रा0 लोहे का प्रयोग हुआ है, जबकि जुनियर इंजीनियर द्वारा की गई जांच में गेट के वजन में लगभग 112.800 कि0ग्रा0 का फर्क पाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि श्री बिरेन्द्र सिंह द्वारा 112.800 कि0ग्रा0 ज्यादा लोहा दिखाकर राशि का दुरूपयोग किया गया है।
- 4. यह कि वाउचर न0 14, दिनांक 10.02.2017 में जो जगवार कम्पनी का सामाना श्री बिरेन्द्र सिंह द्वारा खरीदा गया है, वह स्कूल में कही भी नहीं लगाया गया, जो कि उन द्वारा सीधा गबन करना दर्शाता है।
- 5. यह कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त स्टॉक का आंकलन रखने के लिये स्टॉक रजिस्टर लगाया गया है, जिसमें स्टॉक दर्शाया जाता है, परंतु श्री बिरेन्द्र सिंह द्वारा कैशबुक में कटिंग व फ्लूड लगाकर अनियमितता की गई है।"

इस प्रकार श्री बिरेन्द्र सिंह ने उपरोक्त कार्रवाई करके हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम—4 (1) की उल्लंघना की है।

उपरोक्त अनियमितताएं श्री बिरेन्द्र सिंह, तत्कालीन पी०जी०टी० राजनीति शास्त्र, राजकीय विरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भम्भेवा (जीन्द) (1582) (अब सेवानिवृत) के गम्भीर कदाचार को व्यक्त करती हैं, जिनके लिए आपको हिरयाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 12.2 (ख) के साथ पिठत हिरयाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के अधीन कड़ी अनुशासिनक कार्रवाई का दायी बनाया जाता है।

(डा० महावीर सिंह, आई०ए०एस०) अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग चण्डीगढ। श्री बिरेन्द्र सिंह, तत्कालीन पी०जी०टी० राजनीति शास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भम्भेवा (जीन्द) (1582) (अब सेवा निवृत) के विरुद्ध गवाहों की सूची।

- 1. श्रीमती विजय लक्ष्मी, तत्कालीन उप जिला शिक्षा अधिकारी-कम-जांच अधिकारी।
- 2. श्री जितेन्द्र सिंह, जे०ई० एस०एस०ए० जीन्द।
- 3. श्री योगेन्द्र आसरी, तत्कालीन अनुभाग अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जीन्द।
- 4. श्री राहुल पुत्र श्री रणबीर सिंह (शिकायतकर्ता), निवासी गांव भम्भेवा, तहसील सफीदों, जिला जीन्द।

(डा० महावीर सिंह, आई०ए०एस०) अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग चण्डीगढ़। श्री बिरेन्द्र सिंह, तत्कालीन पी०जी०टी० राजनीति शास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भम्भेवा (जीन्द) (1582) (अब सेवा निवृत) के विरुद्ध दस्तावेजों की सूची।

- श्री राहुल (शिकायतकर्ता) द्वारा सी०एम० विण्डों पर दर्ज शिकायत संख्या CMOFF/N/2017/ 099413, CMOFF/N/2017/100936, CMOFF/N/2017/120113 की प्रतियां।
- 2. उप जिला शिक्षा अधिकारी, जीन्द-कम-जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट की प्रति।
- 3. जे०ई०, एस०एस०ए० जीन्द की लोहे के गेट के वजन की रिपोर्ट।
- 4. इंटर लोकिंग ईटो की मजदूरी की जे०ई०, एस०एस०ए० जीन्द गणना रिपोर्ट।

(डा० महावीर सिंह, आई०ए०एस०) अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग चण्डीगढ़।

GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

ORDER

Order No. 4/1-2020 PGT-III (1) Dated, Chandigarh, the 20.10.2020

Mrs. Richa Sharma [5017969] PGT English, Govt. Sr. Sec. School, Sadhaura (Yamunanagar) [263] is hereby transferred at Govt. Sr. Sec. School, Sector-6, Panchkula [3704] against vacant post with immediate effect. She will also participate in online transfer drive as and when it comes.

Dr. Mahavir Singh, IAS
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
School Education Department
Chandigarh

OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even

Dated Panchkula, the 39/10/2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. District Education Officer, Yamunanagar and Panchkula.
- 2. Principal concerned.
- 3. Mrs. Richa Sharma [5017969] PGT English, Govt. Sr. Sec. School, Sadhaura (Yamunanagar).
- 4. I.T Cell (H.Q) for uploading the same on website.

Superintendent PGT-III for Director Secondary Education Haryana, Panchkula

E:\Kuldeep\Office Order\Transfer Order 2020.Docx

Order No. 18/447-2018 PGT-III (9)

Dated, Panchkula the 30.10.2020

Smt. Leena, PGT Commerce, Govt. Sr. Sec. School, Sector 4/7, Urban Estate, Gurugram is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 30.10.2020 to 31.03.2021 as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, 11/ 102/2009-3FR dated 05.07.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

J. GANESAN DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 2/11/2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. District Education Officer, Gurugram w.r.t. his/her memo No. E-2/2018/933 dated 14.09.2020.
- 2. Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Sector 4/7, Urban Estate, Gurugram.
- 3. Smt. Leena, PGT Commerce, Govt. Sr. Sec. School, Sector 4/7, Urban Estate, Gurugram.

4. IT Cell for uploading the orders on website.

Superintendent PGT-III 2 (11/6525)
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

E:\Kuldcep\Sanction\CHILD CARE LEAVE SANCTION.Docx

Order No. 18/68-2020 PGT-III (9)

Dated, Panchkula the 30.10.2020

Smt. Archana Sharma, PGT English, Govt. Sr. Sec. School, Dhurala (Kurukshetra) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **30.10.2020 to 29.01.2021 (03 months)** as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, 11/ 102/2009-3FR dated 05.07.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

J. GANESAN DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 2/11/2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. District Education Officer, Kurukshetra w.r.t. his/her memo No. E-2/2020/9008 A dated 09.10.2020.
- 2. Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Dhurala (Kurukshetra).
- 3. Smt. Archana Sharma, PGT English, Govt. Sr. Sec. School, Dhurala (Kurukshetra).

4. IT Cell for uploading the orders on website.

Superintendent PGT-III

for Director Secondary Education, Haryana, Panchkula

E:\Kuldeep\Sanction\CHILD CARE LEAVE SANCTION.Docx

Order No. 18/434-2019 PGT-III (9)

Dated, Panchkula the 30.10.2020

Smt. Manjeet Kumari, PGT English, Govt. Sr. Sec. School, Raipur Rani (Panchkula) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 30.10.2020 to 29.01.2021 (03 months) as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, 11/ 102/2009-3FR dated 05.07.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

J. GANESAN DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 2/11/2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. District Education Officer, Panchkula w.r.t. his/her memo No. E-1/2020/4960 dated 01.09.2020.
- 2. Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Raipur Rani (Panchkula).
- 3. Smt. Manjeet Kumari, PGT English, Govt. Sr. Sec. School, Raipur Rani (Panchkula).

A. IT Cell for uploading the orders on website.

Superintendent PGT-III 2 11/26 in for Director Secondary Education,

C) (-- La_

Haryana, Panchkula

E:\Kuldcep\Sanction\CHILD CARE LEAVE SANCTION.Docx